(121)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 2188–तीन/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–7–1999 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला मंदसौर, प्रकरण कमांक 1/बी–103/पंजीयन कंडिका 239/1998–99.

.....

1–राधेश्याम आत्मज गोवर्धनलाल महाजन

2–मुरलीमनोहर पिता गोवर्धनलाल महाजन

निवासीगण ग्राम रठाना तहसील मंदसौर जिला मंदसौर

..... अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन

द्वारा :–उपपंजीयक मंदसौर

2–शाखा प्रबंधक

रतलाम मंदसौर ग्रामीण बैंक डिगांवमाली

तहसील मंदसौर जिला मंदेसौर

..... प्रत्यर्थीगण

.....

श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अधिवक्ता–अपीलार्थीगण

श्री पी0एस0जादौन, अधिवक्ता–प्रत्यर्थीगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/1/12 को पारित)

यह अपील, अपीलार्थीगण द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 47 के अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–07–1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्रामीण बैंक डिगांवमाली से अपीलार्थीगण द्वारा जीप क्रय करने हेतु रुपये 2,00,000/– का ऋण लिया गया । बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करने का प्रारूप 5 पर उपपंजीयक मंदसौर को दिनांक 30–9–98 को नस्ती करने हेतु भेजा गया । चूँकि जीप क्रय करने हेतु लिया गया ऋण गैर कृषि प्रयोजन ऋण था, अतः स्वीकृत ऋण राशि 2,00,000/– रुपये पर 4 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क एवं एक प्रतिशत पंचायत शुल्क कुल राशि रुपये 10,000/– मुद्रांक शुल्क वसूली हेतु प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को भेजा गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा 1/बी–103/पंजीयन कंडिका 239/1998–99 दर्ज कर दिनांक 31–7–1999 को आदेश पारित किया जाकर प्रस्तावित मुद्रांक शुल्क रुपये 10,000/– + 100/– कुल रुपये 10,100/– वसूली के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि बैंक द्वारा जो ऋण स्वीकृत किया गया है वह कृषि ऋण है, अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा गैर कृषि उपयोग का ऋण मानकर मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा सब्जी को बाजार में ले जाने के लिये व डेयरी में दुध वितरण हेतु जीप के लिये ऋण लिया गया है जो कि कृषि प्रयोजन ऋण ही मान्य होगा । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थीगण शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश को वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित बताते हुये अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि मुद्रांक शुल्क अदा करने की जिम्मेदारी अपीलार्थीगण पर अथवा प्रत्यर्थी कमांक 2 की है । इस संबंध में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपने

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मुद्रांक शुल्क अदा करने का दायित्व अपीलार्थीगण का है और मुद्रांक शुल्क की राशि अपीलार्थी से जमा कराने का दायित्व प्रत्यर्थी कमांक 2 बैंक का भी है । स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है और अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निराधार है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–07–1999 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर